न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 16 / 2020 FSSA

1. सरकार जरिये श्री जयसिंह यादव तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री ब्रजवासी पुत्र श्री श्योदान गुर्जर विक्रेता
   एफबीओ मैसर्सः—ललित पनीर उद्योग, पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. श्री संतोष गुर्जर पुत्र श्री पुखराज गुर्जर मालिक
   एफबीओ मैसर्सः—ललित पनीर उद्योग, पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा
   निवासी पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गतएफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री पदम सिंह गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—: आदेश :— दिनांकः— 20.09.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव ने दिनांक 06.02.2020 को दोपहर बाद 01:15 मैसर्स ललित पनीर उद्योग पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री ब्रजवारी पुत्र श्री श्योदान गुर्जर निवासी बाडा वाजीपुर, तहसील नादौती जिला करौली उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त फर्म का विक्रेता होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता के पास एक एल्यूमिनियम की कैन में करीबन 35 किग्रा घी(लूज) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था, इसमें मिलावट का शक होने पर इसमें से 800 ग्राम घी(लूज) को हिलामिलाकर स्टील के जग में नमूने की जांच हेतु खरीदा। जिसकी कीमत 400 रूपये नकद देकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता से बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा घी(लूज) को चार साफ सूखी खाली बोतलों में बराबर—बराबर डालकर एयरटाइट ढक्कन बन्द किया व लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को अलग—अलग खाकी कागज में लपेटकर किनारों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर बोतलों पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर **AG**—2350 उपर से नीचे पूरे राउंड में गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार—चार जगह से उपर नीचे दोनो साईडों में चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतिया तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:47:51 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं. 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 07.02.2020 को मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील बोतल व फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 07.02.2020 को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाये तथा नमूने की चतुर्थ सील बन्द बोतल व फार्म संख्या 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 07.02.2020 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ घी(लूज) के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./74/एक्ट/2020/144 दिनांक 19.02.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। नमूना अमानक **(Substandard)** स्तर का पाये जाने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री पदम सिंह गुर्जर उपस्थित आये एवं अवगत करवाया कि अप्रार्थी संख्या 1 ब्रजवासी पुत्र श्योदान गुर्जर विक्रेता मैसर्सः—ललित पनीर उद्योग, पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा फौत हो चुका है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./74/एक्ट/2020/144 दिनांक 19.02.2020 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी(लूज) के नमूने की जांच रिपोर्ट में **B.R. Reading 43.8** पाई गई है जो कि **40.0** से **43.0** के बीच होनी चाहिये थी। जांच रिपोर्ट में उक्त नमूने की **Reichert-Meissel value 25.08** पाई गई है जो कि तय मानको के अनुसार **26.0** से कम नहीं होनी चाहिये थी। उक्त खाद्य पदार्थ घी(लूज) के नमूने में **B.R. Reading** तय मानको से अधिक एवं **Reichert-Meissel value** तय मानको से कम पाये जाने के कारण यह नमूना अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ घी(लूज) का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 (2) (**II**) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि खाद्य पदार्थ घी(लूज) का नमूना खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हमारी फर्म से लिया गया है। यह नमूना जाचं रिपोर्ट मे सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। हमारे द्वारा खाद्य पदार्थ में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। केवल मात्र **B.R. Reading** एवं **Reichert-Meissel value** तय मानको से थोडा कम ज्यादा होने के कारण ही यह नमूना लैब द्वारा जांच रिपोर्ट में सबस्टैण्डर्ड घोषित किया गया है। नमूना जांच रिपोर्ट में अन्य मानको में किसी प्रकार की मिलावट नहीं पाई गई है। अतः प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:27:51 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 16 / 2020 **FSSA**

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./74/एक्ट/2020/144 दिनांक 19.02.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी(लूज) का नमूना अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ घी(लूज) का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 (2)(**II**) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 51 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ घी(लूज) का विक्रय किया गया है। प्रकरण में अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 श्री ब्रजवासी पुत्र श्री श्योदान गुर्जर फौत हो चुका है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 द्वारा अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ घी(लूज) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 श्री संतोष गुर्जर पुत्र श्री पुखराज गुर्जर, मालिक एफ.बी.ओ. मैसर्सः– ललित पनीर उद्योग, पांचोली, तहसील सिकराय जिला दौसा पर 1,00,000/–(अक्षरे एक लाख रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 उक्त राशि निर्णय दिनांक 20.09.2024 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)**के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक / **FSSA**/ 2024 / दिनांकः– .09.2024

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री संतोष गुर्जर पुत्र श्री पुखराज गुर्जर मालिक
   एफबीओ मैसर्सः–ललित पनीर उद्योग, पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा निवासी पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:27:51 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official